मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16/03/2024

क्र. IPI/5/0022/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान टेप्स प्रा. लि. द्वारा ग्राम मिरगपुर, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट में रूपये 123.85 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से पीवीसी इलेक्ट्रिक टेप निर्माण हेतु नवीन इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP23777) पर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार, निर्यात एवं प्राथमिकता विकासखण्ड गणक का लाभ पात्रतानुसार पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 6.00 करोड होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 4.00 करोड होगी।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर............

पृ. क्र. क्र. IPI/5/0022/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 16/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
4. कलेक्टर, जिला- बालाघाट।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स हिन्दुस्तान टेप्स प्रा. लि., बी- 7/3 हरसुख मार्ग, सफदरगंजइन्कलेब, डिस्ट्रिक्ट पार्क, साउथ दिल्ली, 110029।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग